कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 43 दिसंबर, 2014

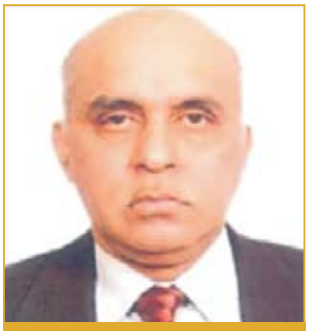

श्री नवेद मसूद,
सचिव का.क.मं.

सचिव की कलम से

वर्ष 2014 अपने पीछे हमारी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां छोड़कर समाप्त होने जा रहा है। एक निर्णायक अधिदेश के साथ आई सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण वचनबद्धताएं कीं। वाणिज्य, उद्योग और अर्थव्यस्था के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित करते हुए वित्तीय समेकन और नीतियों की प्रारंभिक घोषणाओं के काफी उत्साहजनक परिणाम रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स ने नवंबर, 2014 में 28,000 का रिकॉर्ड तोड़ा। महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकों में सुधार दिखाई दिया। यह थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में स्थिर कमी, चालू लेखा घाटें (सीएडी) को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% तक नियंत्रित करने, डॉलर विनिमय दर में स्थिरता और सुदृढ़ एफआईआई के प्रवेश में दिखाई देता है।

वर्तमान वित्त वर्ष (2014-15) की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है और यह 5.5% हो गया है जो पूर्व वर्ष की इस अवधि में 4.9% थी। इसका मुख्य कारण कृषि में 3.5% वृद्धि, उद्योग में 3.2% वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 7% वृद्धि है। हालांकि औद्योगिक विकास में अभी और गति आनी बाकी है और यह निर्माण क्षेत्र को पुनरूज्जीवित करने पर निर्भर होगा। मैं कारपोरेट से आग्रह करता हूं कि वे निर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देकर ''मेक इन इंडिया'' अभियान को सफल बनाए।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वर्ष के दौरान 'व्यापार करने में आसानी' के लिए कानूनी ढाचें में सुधार करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में अत्याधिक प्रयास किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 में कठिनाई को दूर करने और इसका सहज कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न कंपनी नियमों में 15 संशोधन अधिसूचित किए और 45 स्पष्टीकरण जारी किए।

मुझे खुशी है कि कंपनी संशोधन विधेयक, 2014 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए अनुमोदन को सरल बनाना धोखाधड़ी के केवल गंभीर मामलो के लिए कड़े जमानत प्रावधान जारी रखना और लेखापरीक्षा के दौरान पाई जाने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक का अधिनियमन होने के बाद व्यापार समुदाय को काफी सुविधा होगी।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 17 तथाकथित 'चिटफंड कंपनियों' की कार्य प्रणाली का खुलासा करते हुए उनके मामलो में जांच पूरी कर ली है। इन कंपनियों पर कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए अभियोजन चलाने के अलावा साक्ष्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी दिए गए है जो ऐसी कंपनियो के अपराधिक मामलों की जांच कर रहा है। हमने निवेशकों की सुरक्षा के लिए संदिग्ध कंपनियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर रखी है जो सांविधिक फाइलिंग नहीं कर रही है और निष्क्रिय है।

एमसीए21 ई-गर्वनेंस परियोजना द्वारा अक्तूबर और नवंबर 2014 में अत्याधिक व्यस्त फाइलिंग का कार्य सफलतापूर्वक निपटाया गया है। इस संबंध में मंत्रालय के प्रयास सफल रहे है। यह उल्लेखनीय है कि केवल नवंबर, 2014 में ही दस लाख से अधिक फाइलिंग की गई और 4 दिनों में प्रत्येक दिन यह एक लाख से अधिक थी। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मंत्रालय भविष्य में भी अपने सम्माननीय पक्षकारों की उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रखेगा।

मैं पाठकों और कारपोरेट समुदाय को नववर्ष-2015 की शुभकामनाएं देता हूं जो मेरे विश्वास में आशा, विकास और समृद्धि का वर्ष होगा।

"हमने निवेशकों की सुरक्षा के लिए संदिग्ध कंपनियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर रखी है जो सांविधिक फाइलिंग नहीं कर रही है और निष्क्रिय है।"

वरिष्ठ स्तर पर नियुक्तिः

1. सुश्री अंजुलि चिब दुग्गल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 09.12.2014 से विशेष सचिव का कार्यभार ग्रहण किया है। सुश्री दुग्गल भारतीय प्रशासनिक सेवा, पंजाब संवर्ग के 1981 बैच की हैं।

2. श्री जस्टिस जी.एस. सिंघवी, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, को दिनांक 25.09.2014 से प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। (दिनांक 10.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2878(अ))।

मंत्रिमंडल द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुमोदनः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 में कतिपय संशोधन करने के लिए संसद में प्रस्तुत कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 को अनुमोदन दे दिया है। इस विधेयक में 21 प्रावधान (14 मुद्दों को कवर करते हुए) संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में पक्षकारों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का समाधान करने और देश में व्यापार करना सरल बनाने का प्रस्ताव है। अधिनियम में प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैंः निगमन के समय न्युनतम प्रदत्त शेयरपूंजी की अपेक्षा हटाना; कंपनियों द्वारा जमाराशियों की वापसी न करने के लिए दंड निर्धारित करना; रजिस्टरी में फाइल किए गए बोर्ड संकल्पों को जनता द्वारा देखे जाने पर रोक लगाना; वर्ष के लिए लाभांश घोषित करने से पहले विगत हानि/अवमूल्यन को बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान शामिल करना; न्युनतम सीमा निर्धारित करना जिसके ऊपर के अपराधों की सूचना केंद्र सरकार को दी जाएगी; केवल धारा 447 के अंतर्गत धोखाधड़ी संबंधी अपराध के लिए जमानत प्रतिबंध लागू करना; समापन मामलों की सुनवाई की तीन सदस्य पीठ के स्थान पर दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा किया जाना; और विशेष न्यायालयों द्वारा दो वर्ष या अधिक कारावास वाले अपराधों की सुनवाई करना आदि।

एमसीए21 द्वारा अत्याधिक फाइलिंग का निपटानः प्रत्येक वर्ष अक्तूबर और नवंबर कंपनियो द्वारा एमसीए21 प्रणाली के माध्यम से सरकार को सांविधिक फाइलिंग करने के अत्याधिक व्यस्त माह होते है। मंत्रालय द्वारा इस कार्यभार से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए है जैसे अवस्थापना में सुधार, सॉफ्टवेयर ऑप्टीमाईजेशन और कंपनियों को अपनी फाइलिंग अलग-अलग समय पर करने के अनुरोध के साथ प्रचार अभियान चलाना। इन प्रयासों से नवंबर, 2014 के दौरान एमसीए 21 प्रणाली का निष्पादन अत्याधिक स्थिर रहा। नवंबर, 2014 माह में दस लाख से अधिक फाइलिंग की गई जो नवंबर, 2013 की तुलना में (6.65 लाख) 54% अधिक है। नवंबर में चार दिन और अक्तूबर में एक दिन ऐसा था जबकि फाइलिंग प्रतिदिन एक लाख से अधिक रही।

'इंडियन फाइनेंशिएल कोड' पर राष्ट्रीय सेमिनारः भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने बांबे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) द्वारा प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 29.11.2014 को मुबंई में'इंडियन फाइनेंशिएल कोड' पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसका उद्घाटन माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मंत्री महोदय ने एफएसएलआरसी की विभिन्न सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए आईसीएसआई द्वारा सेमिनारों और कार्यशालाओं के आयोजन में किए गए प्रयासो की सराहना की। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश और अध्यक्ष एफएसएलआरसी माननीय जस्टिस श्री बी.एन. श्रीकृष्णा सम्मानित अतिथि थे। इस सेमिनार में क्षेत्र से संबंधित अन्य प्रतिष्ठित लोगो ने भाग लिया।

माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरूण जेटली आईसीएसआई राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए

ई-प्ररूप सीआरए-2 दायर करने की तारीख का विस्तारः कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(2) के अनुसार कंपनियों के लिए केन्द्रीय सरकार को लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना देने के लिए बोर्ड की ऐसी बैठक जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई है के तीस दिनों के भीतर या वित्त वर्ष प्रारंभ होने के एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ई-प्ररूप सीआरए-2 में सूचित करना अपेक्षित है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-प्ररूप सीआरए-2 की उपलब्धता में विलंब को देखते हुए, मंत्रालय ने ई-प्ररूप सीआरए-2 दायर करने की तारीख बिना किसी जुर्माने के 30.01.2015 तक बढ़ा दी है। ई-प्ररूप सीआरए-2 जल्द ही एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और जिन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति हेतु ई-प्ररूप 23ग दायर किया है उनके लिए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ई-प्ररूप सीआरए-2 दायर करना अपेक्षित नहीं। (सामान्य **परिपत्र 42/2014 तारीख 12.11.2014**)।

एफसीसीबी और एफसीबी कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा विनियमित नहीं होते हैंः हितधारकों ने भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अनन्य रूप से विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) और विदेशी मुद्रा बांड (एफसीबी) जारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-III के उपबंधों के प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण मांगा था। कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय-III विवरणिका और प्रतिभूतियों के आवंटन से संबंधित है। वित्त मंत्रालय और सेबी के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि एफसीसीबी और एफसीबी का मामला वित्त मंत्रालय के *विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर जारी करना (निक्षेपागार रसीद प्रणाली के माध्यम से) स्कीम, 1993* और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों/विनियमों द्वारा विनियमित होते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्कीम या आरबीआई द्वारा जारी निदेशों/विनियमों जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-III के उपबंध लागू नहीं होंगे (सामान्य **परिपत्र संख्या 43/2014 तारीख 14.11.2014**)।

कंपनी विधि निपटान स्कीम, 2014: कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 'कंपनी विधि निपटान स्कीम, 2014 (सीएलएसएस, 2014)' क-ो 31.12.2014 तक बढ़ा दिया है। सीएलएसएस, 2014 चूकक-

र्ता कंपनियों को अभियोजन से छूट और घटे हुए शुल्क के साथ उनके वार्षिक सांविधिक दस्तावेज दायर करने के लिए एक कालिक अवसर प्रदान करता है **(सामान्य परिपत्र संख्या 44/2014 तारीख 13.11.2014)।**

जम्मु और कश्मीर में वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने के लिए समय का विस्तार : जम्मु और कश्मीर में सितंबर, 2014 में भयानक बाढ़ को देखते हुए कई कंपनियां समय पर वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन नहीं कर सकी। कश्मीर उद्योग मंडल सहित कई हिताधाकारियों ने मंत्रालय से वार्षिक साधारण बैठक के आयोजन के लिए समय विस्तार देने का अनुरोध किया है। इस अपवादिक परिस्थिति के मद्देनजर कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने जम्मु और कश्मीर में पंजीकृत कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2013-14 हेतु उनकी वार्षिक साधारण बैठकों (प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के सिवाय) के आयोजन के लिए 31.12.2014 तक समय विस्तार दिया है (सामान्य **परिपत्र संख्या 45/2014 तारीख 18.11.2014)।**

कंपनी सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम : भारत सरकार ने कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्ररूप, 1956 के नियम 12क में संशोधन किया है और 'संयुक्त निदेशक (लेखा)' का नाम बदलकर 'संयुक्त निदेशक' किया है (अधिसूचना **सा.का. नि.815(अ) तारीख 17.11.2014)।**

कंपनी विधि बोर्ड को अपीलों की सूची में चार और अपील जोड़े गए : भारत सरकार ने कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के क्षेत्राधिकार के तहत चार और अपील, इन अपीलों के वसूले जाने वाले शुल्कों के साथ, शामिल करने के लिए कंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991 में संशोधन किया है। नए शामिल किए गए अपील हैं : (i) अप्रैल से मार्च के सिवाय किसी भी अवधि को वित्त वर्ष के रूप में मान्यता (5000 रुपए शुल्क है); (ii) सदस्य रजिस्टर का सुधार (500 रुपए शुल्क है); (iii) कोई प्रतिदेय राशि या ऐसे गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप हुई कोई हानि या नुकसानी (100 रुपए शुल्क है); और (iv) जमा के पुनर्संदाय के लिए युक्तियुक्त समय की अनुमति (5000 रुपए शुल्क है) (अधिसूचना **सा.का. नि.772(अ) तारीख 03.11.2014)।**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर कंपनियों के ब्यौरे : निवेशकों के हितों की सुरक्षा और अधिक पारदर्शिता लाने के अपने प्रयास के भाग के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अब मंत्रालय की वेबसाइट पर (http://www.mca.gov.in/MinistryV2/masterdatareport.html) कंपनी स्तर विशिष्ट सूचना डाली है। निम्लिखित सूचनाएं एमसीए वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं और इन सूचनाओं को सावधिक अद्यतन किया जाता है :

क्र.सं.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना
1	चेतावनी के अधीन कंपनियों की सूची (जिसमें एमएलएम कंपनियों की सूची, गायब हो रही कंपनियों की सूची, निरर्हित निदेशकों की सूची, चूककर्ता कंपनियों की सूची, चूककर्ता निदेशकों की सूची, चूककर्ता सचिवों की सूची, निष्क्रीय कंपनियो की सूची, कंपनी रजिस्टर से नाम हटाने की प्रक्रिया के अधीन कंपनियों की सूची और प्ररूप 51एनवी दायर नहीं करने वाली कंपनियों की सूची शामिल है)
2	कंपनी/एलएलपी के हस्ताक्षरकर्ताओं के ब्यौरे और कंपनियों/एलएलपी के लिए 'प्रभार रजिस्टर'
3	अभियोजन के अधीन कंपनियों/निदेशकों के ब्यौरे
4	कंपनी रजिस्टर से नाम हटाए गए/बंद कंपनियों/एलएलपी के ब्यौरे
5	कंपनी/एलएलपी के मास्टर ब्यौरे (जिसमें कंपनी की सीआईएन, नाम, श्रेणी, प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी, निगमन की तारीख, पता, पिछली वार्षिक साधारण बैठक, ई-फाइलिंग स्थिति, रजिस्ट्रीकृत प्रभार, कंपनी के हस्ताक्षकर्ताओं के नाम आदि शामिल हैं)।
6	रजिस्ट्रीकृत कुल कंपनियां/विदेशी कंपनियां/एलएलपी-वर्ष और राज्य-वार
7	सक्रीय कंपनियों का संवितरण-आर्थिक गतिविधि-वार
8	प्रदत्त पूंजी श्रेणी-वार कंपनियों का वितरण और अन्य सांख्यिकी

11वां राष्ट्रीय लागत प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार: भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) ने ''11वां राष्ट्रीय लागत प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार-2013'' 25 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित किया। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिंहा, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ने लागत प्रबंधन संव्यवहारों में उत्कृष्टता के लिए 22 कंपनियों को पुरस्कृत किया। श्री एम.जे. जोस्फ, अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे और उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिंहा, श्री एम. जे. जोस्फ, अपर सचिव, एमसीए, श्री पी.बी.भट्टर, उपाध्यक्ष, आईसीओएआई और श्री ए.एस. दुर्गा प्रसाद, अध्यक्ष, आईसीओएआई नई दिल्ली में 25.11.2014 को '11वां राष्ट्रीय लागत प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार - 2013' के अवसर पर सफल पुरस्कार विजेताओं द्वारा अपनाए गए लागत प्रबंधन संव्यवहारों को उजागर करने वाली एक स्मारिका जारी करते हुए

निवेशक सुरक्षा और जागरूकता :

क. तीन व्यावसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के साथ मिलकर नवंबर, 2014 के दौरान पूरे देश में विभिन्न नगरों/शहरों में 55 निवेशक जागरुकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

2. नवंबर, 2014 के अंत तक 3292 कंपनियों ने iepf.gov.in वेबसाइट पर उनके पास रखे निवेशकों के असंदत्त और अदावाकृत राशियों (शेयर आवेदन राशि, लाभांश, डिबेंचर, जमा आदि) के बारे में सूचना अपलोड की है। यह वेबसाइट कंपनियों के लिए निवेशकों की सात वर्षों या उससे कम अवधि से रखी हुई असंदत्त और अदावाकृत राशि, जिसे निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरित किया जाना है, के ब्यौरे फाइल करने के लिए बनाया गया है, ताकि निवेशक कंपनी से ऐसी राशि का पुनः दावा कर सके। नवंबर, 2014 तक कंपनियों द्वारा बताई गई ऐसी कुल राशि 4131.53 करोड़ रुपए है।

कारपोरेट क्षेत्र की पुनरीक्षा :

क. दिनांक 30.11.2014 तक कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की संख्या 14.32 लाख थी। इनमें से 2.62 लाख कंपनियां बंद हो गई थीं और 27,841 कंपनियां बंद होने की प्रक्रिया में हैं। 1.40 लाख कंपनियों ने लगातार तीन वर्षों से अधिक के लिए उनकी वार्षिक विवरणियां/तुलन पत्र (अर्थात् वार्षिक सांविधिक फाइलिंग) फाइल नहीं किया है। दूसरे शब्दों में पिछले 18 महीनो में निगमित 1.17 लाख कंपनियों (जिनके लिए वार्षिक सांविधिक फाइलिंग अभी देय नहीं है) सहित लगभग 10.01 लाख सक्रिय कंपनियां हैं।

ख. 213 एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) सहित कुल 5471 कंपनियां, 4,084.65 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ, नवंबर, 2014 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुईं। नए निगमित कंपनियों का प्रकार वार ब्रेक-अप निम्नलिखित हैं :

कंपनी का प्रकार	नवंबर, 2014 में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी	**5449**	**4084.19**
जिनमें से		
(क) निजि कंपनियां थी	5326	503.58
जिनमें से		
एकल व्यक्ति कंपनियां थी	213	5.36
(ख) सार्वजनिक कंपनियां थी	123	3580.61
गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां	**20**	**0.31**
जिनमें से		
(क) निजी कंपनियां थी	18	0.21
(ख) सार्वजनिक कंपनियां थी	2	0.10
असीमित कंपनी	**2**	**0.15**
जिनमें से		
(क) निजी कंपनियां थी	2	0.15
(ख) सार्वजनिक कंपनियां थी	0	0.00
कुल योग	**5471**	**4084.65**

(ग) शेयर द्वारा सीमित के आधार पर पंजीकृत कंपनियों के वर्ग के अंतर्गत, अधिकतम संख्या में पंजीकरण महाराष्ट्र (1,070) में हुआ, जिसके बाद दिल्ली (773) तथा उत्तर प्रदेश (505) का नाम आता है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर अधिकतम संख्या मे कंपनियां (2,486) व्यापार सेवाओं के तहत पंजीकृत की गई।

(घ) नवंबर, 2014 के दौराम छहः राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) को 1020.36 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। निगमित एसएलपीई हैः 1. नौएडा मेट्रो रेल निगम लिमिटेड; 2. छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड; 3. छिन्दवाड़ा नगर परिवहन सेवाए लिमिटेड; 4. तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड; 5. देवास नगर परिवहन सेवाएं लिमिटेड; 6.सागर नगर परिवहन सेवाएं लिमिटेड । कारपोरेट क्षेत्र में विकास के बारे में अधिक सांख्यकीय ब्यौरे के लिए पाठक कृपया कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक बुलेटिन mca.gov.in/MinistryV2/InformationBulletin.html. देखे।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यक्रम में उपस्थितिः

1. श्री नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ने 19.11.2014 को मुबंई में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की 157 वी बैठक में भाग लिया।
2. श्री नावेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 26.11.2014 को नई दिल्ली में 'भारत में व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार' संबंधी सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में भाग लिया।
3. श्री नावेद मसूद, सचिव एमसीए तथा श्री एम.जे.जोसफ, अपर सचिव, एमसीए, ने 26.11.2014 को नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 'डिजीटल भारत कार्यक्रम पर एपेक्स समिति की प्रथम बैठक' में भाग लिया।
4. श्री एम.जे.जोसफ, अपर सचिव, एमसीए, ने 10.11.2014 को नई दिल्ली में एनएसईएल पर सचिवों की विशेष टीम की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर हुई बैठक में भाग लिया।
5. 9-11 नवंबर, 2014 के दौरान अधीनस्थ विधान समिति, राज्य सभा ने अन्य विषयों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर उपबंधों के अनुपालन की जांच करने के लिए हैदराबाद, बंगलूरू एवं मुबंई का दौरा किया। इस समिति ने इन उपबंधों को मानने में उनके अनुभवों को समझने के लिए, विभिन्न कारपोरेटों, विशेषकर पीएसयू से बातचीत की। श्रीमती शिवानी स्वेन, आर्थिक सलाहकार, एमसीए तथा श्री अनिमेष बोस, सहायक निदेशक, इस यात्रा के दौरान समिति के साथ थे।

सीसीआई में हुए मुख्य कार्यक्रमः

1. श्री एस.एल. बुनकर, सदस्य ने 6-7 नवंबर, 2014 के दौरान पोर्ट लुईस, मौरिशस में 'अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) वकालत रणनीतियां एवं मूल्याकंन 2014' में भाग लिया।
2. डॉ. सीमा गौड़, सलाहकार (अर्थशास्त्र) ने 20.11.2014 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ द्वारा आयोजित 'भारत के छठे व्यापार नीति की समीक्षा' में भाग लिया।
3. 'प्रतिस्पर्धा ट्रैकर-2013' सीसीआई आदेशों का एक संग्रह, जो जनवरी-दिसंबर, 2013 की अवधि के दौरान, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26(2), 26(6), 26(7), 27 एवं 31(1) के तहत दिए गए निर्णयों से युक्त है, (जिसमें इन आदेशों में किए गए संशोधन शामिल है) को दो खंड़ों में प्रकाशित किया गया।
4. वकालत श्रृंखला के एक भाग के रूप में 'सरकारी खरीद संबंधी प्रावधानों' पर एक पुस्तिका का प्रकाशन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पणधारियों के लाभ के लिए किया गया

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in